न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
वागाराम पुत्र रणछोडाराम जी जाति नाई निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर		सरकार जरिए नायब तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 03/2018

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री निखिल दवे, अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 12.03.2018

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम वागाराम पुत्र रणछोडाराम जाति नाई निवासी धानोल में पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. संक्षिप्त में अपीलांट के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि पटवारी हल्का धानोल की रिपोर्ट पर अपीलांट के विरूद्ध मौजा धानोल में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नंबर 726 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.07 हैक्टर भूमि में अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने बाबत प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही अपीलांट ने दिनांक 23.06.2017 का प्रार्थना पत्र सनद जारी करने व नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत भू अभिलेख में प्रस्तुत किया है। अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा जबाब प्रस्तुत कर दर्शाया गया कि उसके पिता रणछोराम का पूर्व खसरा नबंर 297 में पुराना कब्जा व मकान निर्मित था। पहले रानीवाडा तहसील जब गठित नहीं हुई थी तो धानोल भीनमाल तहसील का राजस्व ग्राम था तहसीलदार भीनमाल के न्यायालय में अपीलांट के पिता रणछोडा के विरूद्व मुकदमा नबंर 300/81 सरकार बनाम रणछोडा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थन भू राजस्व अधिनियम दर्ज किया गया। रानीवाडा में उप तहसीलदार का पद सृजित होने पर प्रकरण अन्तरित किया गया। उप तहसीलदार रानीवाडा की सिफारिश पर तहसीलदार भीनमाल में एवं बाद जांच दिनांक 06.12.1983 को अपीलांट के पिता के नाम 500 वर्गगज नि:शुल्क तथा शेष 178 वर्गगज 25 पैसे प्रति वर्गगज के हिसाब से नियमन राशि वसूल करने का आदेश दिया गया। अपीलांट के पिता द्वारा सनद फीस व नियमन राशि दिनांक 09.12.1983 को पटवारी हल्का के पास जमा करा दी गई तथा उसके पश्चात पटवारी हल्का द्वारा सनद लाकर देने का आश्वासन दिया जाता रहा परन्तु सनद जारी नहीं हुई तथा उक्त प्रकरण में तमाम दस्तावेज के अवलोकन के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी मान कर बेदखली का आदेश पारित किया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई

sd/-

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये व्यक्त किया कि अपीलांट के पिता द्वारा तहसीलदार भीनमाल के आदेश के अनुसरण में सनद फीस एवं नियमन राशि जमा करवाई जा चुकी थी तो सनद जारी करने का उत्तरदायित्व तहसीलदार महोदय का था अपीलांट के पिता द्वारा जब सनद फीस व नियमन राशि जमा करवाई जा चुकी है तो उसे अतिक्रमी मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भूल की है कि रिसेटलमेन्ट के दौरान पूर्व खसरा नबंर 297 का रकबा कुल 17 बिस्वा ही था परन्तु रिसेटलमेन्ट के दौरान उसका रकबा 0.38 हैक्टर बन गया। इस कारण तहसीलदार भीनमाल के आदेश की पालना में सनद जारी करना उचित न समझते हुये। अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करते हुये भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है।क्योकि अपीलांट के नाम मात्र 678 वर्ग गज भूमि नियमन का आदेश है। जिसकी सनद जारी की जानी है। 0.38 हैक्टर में से 678 वर्ग गज भूमि की सनद जारी कर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नही है एवं न्यायहित में सनद जारी किये जाना न्याय संगत है। अपीलांट रणछोडाराम के पास धानोल की आबादी में उक्त रहवासी मकान के अलावा अन्य कोई रहवासी मकान नहीं है पूर्व में तहसीलदार भीनमाल द्वारा सम्पूर्ण जांच करते हुये नियमन का आदेश पारित किया है तथा मुकदमा नबंर 300/81 में पटवारी हल्का में जो तहसीलदार भीनमाल के न्यायालय में बयान दिये गये है। उसमें अपीलांट के पिता के परिवार के सदस्यो की संख्या 8 बताई गई है तथा साथ ही यह भी कथन किया गया कि अन्य कोई रहवासी मकान उनके पास नहीं है। इन हालात में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

यह विधि का यह सुनिश्चित सिद्वान्त है कि एक बार अपीलांट के पिता के नाम नियमन आदेश जारी कर दिया गया तो अपीलांट के पिता अथवा उसके किसी भी परिवार के सदस्यो को अतिक्रमी की संज्ञा नही दी जा सकती। क्योकि नये सिरे से कोई कब्जा नहीं किया गया एवं अपीलांट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही गैर कानूनी तरीके से दायर की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के पिता से जब नियमन राशि वसूल की जा चुकी है।साथ ही सनद फीस प्राप्त की जा चुकी है। सनद नियमन का इन्द्राज करने एवं सनद जारी करने का दायित्व राजस्व अधिकारियो का है। जिनके द्वारा अपने कर्तव्यो का निर्वाह नहीं करने के कारण अपीलांट को किसी भी तौर पर दण्डित नहीं किया जा सकता। इन परिस्थिति में भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के नाम वर्तमान खसरा नंबर 726 में 678 वर्गगज भूमि की सनद जारी करने एवं राजस्व रेकर्ड व नक्शे में उसका इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करावे।

5. सरकारी वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मौजा धानोल के खसरा नम्बर 726 रकबा 0.038 मे से 0. 07 हेक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपये बतौर जुर्माना आरोपित किया गया हैं। अधीनस्थ

Sd/—

न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो विधीवत हैं। लेकिन अपीलांट के पिता को तहसीलदार भीनमाल द्वारा पुराने खसरा नंबर 297 में हुये नियमन एवं उक्त खसरे के नये खसरा नंबर 726 के रकबे में बढौतरी के संबंध में कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया हैं। अत: विस्तृत जांच हेतु अपीलांट की अपील रिमाण्ड की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दिनांक 06.12.83 को तहसीलदार भीनमाल की पत्रावली संख्या 300/81 अनवान सरकार बनाम रणछोडा में रणछोडा पुत्र चतरा नाई के नाम खसरा नंबर 297 में रकबा 1/2 बीघा भूमि नियमन किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसमें से 500 वर्ग गज भूमि नि:शुल्क तथा शेष 179 वर्ग गज भूमि 0.25 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से राशि जमा कराने का आदेश दिया गया। साथ ही खसरा नंबर 636/287 रकबा 0.02 बिस्वा भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रानीवाडा ने प्रार्थी के पुत्र वागाराम को अतिक्रमी मान कर उसे बेदखल करने व 50/-रूपये जुर्माना आरोपित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पत्रावली संख्या 300/81 में तहसीलदार भीनमाल ने कब्जा 01.07.75 से पूर्व का माना है, जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमन योग्य होने से नियमन करने का आदेश पूर्व में तहसीलदार भीनमाल द्वारा दिया गया था और भूमि की किस्म बारानी प्रथम थी। इसी दौरान सेटलमेन्ट हो जाने से गत खसरा नंबर 297 के नये खसरा नंबर 726 होना बताया गया है। उक्त खसरे के रकबे में हुये बढौतरी के अन्तर की अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में जांच की जाना नहीं पाया जाता है।

अत: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ग्राम धानोल के पुराने खसरा नंबर 297 के नये खसरा नंबर 726 बने व उसके रकबे में बढौतरी होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की साथ ही पूर्व में जारी तत्कालीन तहसीलदार के आदेश को प्रभावी नहीं मानने बाबत अधीस्थ न्यायालय ने कोई विधिक अभिमत व्यक्त नहीं किया, न ही नियमन किये गये स्थान व वर्तमान अतिक्रमण बाबत जांच नहीं किये जाने से अपीलांट के विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नही है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओ पर जांच कर पुन: नियमानुसार विधी सम्मत आदेश पारित करे।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर